बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बेली रोड), बिहार, पटना – 800015

अत्यावश्यक सूचना

वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक)/पी०डब्लू०डी० (PwD) निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा हेतु प्रपत्र–12घ भरने हेतु अनुदेश

1. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मतदान क्षेत्र से संबंधित सूची के आधार पर प्रपत्र–12घ संबंधित निर्वाचक को बी०एल०ओ० द्वारा घर जाकर उपलब्ध कराया जायेगा। यदि निर्वाचक अनुपस्थित है, तो वैसी स्थिति में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अपना संपर्क संख्या उपलब्ध करायेंगे एवं पुनः निर्वाचक के पते पर जायेंगे।
2. निर्वाचक द्वारा डाक मतपत्र के उपयोग हेतु प्रपत्र–12घ में संलग्न पावती में विकल्प चयनित या नहीं चयनित किये जाने की सूचना अंकित की जायेगी।
3. यदि उनके द्वारा डाक मतपत्र का विकल्प चयनित किया जाता है, तो मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः भरा हुआ प्रपत्र–12घ निर्वाचक के घर से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के पाँच दिनों के अंदर प्राप्त कर उसे निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
4. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–12घ के साथ संलग्न सभी पावती निर्वाची पदाधिकारी को जमा कराया जायेगा।
5. निर्वाची पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में उक्त गतिविधियों का अनुश्रवण सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 52/2020/एसडीआर/खंड I/278 दिनांक 17.09.2020 (http://ceobihar.nic.in/PDF/eci_notification_2020.pdf) द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी मतदान दल नियुक्त करेंगे, जो संबंधित निर्वाचक को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार डाक मतपत्र उपलब्ध करायेंगे एवं उसे संग्रहित करेंगे।

Scanned with CamScanner